| | |
|---|---|
| २९/१०/१५ | पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित हुए। पत्रावली [illegible] पेश हुई। उपस्थित पक्षों के [illegible] [illegible] किया जाता है [illegible] [illegible] आवेदक के [illegible] [illegible] २ [illegible] [illegible] [illegible]। पत्रावली [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible] हो। |

अर[illegible] (आर.ए.एस.)
[illegible]
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:43 IST
Reason: SelfAttested

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 212
### बजरंग लाल बनाम महेन्द्र कुमार

दिनांकः– 29/10/21

दिनांक 22.07.2021 को अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने दावा बाबत घोषणा व निषेधाज्ञा पेश किया व उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 31/2021 किया जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है:–

ग्राम भंभौरी, पटवार हल्का भंभौरी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवां, तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं0 292 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा से बनाये गये खसरा नं0 292 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नं0 292/950 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के नाम अलग–अलग खातेदारी में अंकित है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी में अंकित भूमि खसरा नं0 292 एवं 292/950 आपस में सीमाजोड है, जिनकी पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा आपस में मिली हुई एवं एक ही है, अप्रार्थी सं0 1 इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से एवं खातेदारी में अंकित भूमि खसरा नं0 292 की पश्चिमी सीमा पर अवैध अतिक्रमण कर उक्त सीमा पर स्वयं कब्जा कर उसमें जबरन सडक का निर्माण कर उक्त प्लाटों को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने एवं जबरन अपनी इच्छानुसार प्लाटिंग कर भूमि पर सडके एवं बाउन्ड्री का निर्माण कर अपनी योजना में शामिल करके प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है।

अतः आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने की कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवावें तथा मौके की मौजूदा वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखे एवं अप्रार्थी सं0 3 ऐसे किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने एकपक्षीय बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुन मौके की गंभीरता के मद्देनजर आगामी पेशी तक उभयपक्षों को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं खसरा नं0 292/950 व 292 पर निर्माण कार्य नहीं करने व जबरन प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी तामील करवाई गई। अप्रार्थी सं0 1 ने बाद तामील प्रार्थना पत्र का जवाब व काउंटर क्लेम पेश किया जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:43 IST
Reason: SelfAttested

उतरदाता आराजी खसरा नं0 292/950 के ... तारबंदी कर काबिज काश्त है। उक्त आरजीयात ... की आराजी 292 सींव जोड स्थित है। दोनों खसरा नम्बरान के मध्य बेजमाने ... पुख्ता तारबंदी की हुई है। जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नही है, इसके बावजूद प्रार्थीगण ने जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अपने खसरा नं0 292 की जो सीमा तारबंदी द्वारा कायम की है, के उपरान्त पश्चिमी दिशा में उतरदाता की भूमि को जबरिया विवादित करने की नियत से व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की नियत से अदालत हाजा में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर उतरदाता की भूमि खसरा नं0 292/950 जो प्रार्थीगण की खसरा नं0 292 के ... स्थित है, की आड में उतरदाता द्वारा उसकी जो पूर्व से की गई तारबंदी

सीमा पर लगी हुई है जिससे किसी प्रकार की कोई छेडछाड आज दिनांक तक नही की गई है के उपरान्त सीमा पर विवाद बताकर उतरदाता की सम्पूर्ण आराजी खसरा नं0 292/950 को विवादग्रस्त बताकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया। जिसकी आड में प्रार्थीगण मिन उतरदाता की उक्त सम्पूर्ण आराजीयात खसरा नं0 292/950 के उपयोग उपभोग, कब्जे काश्त तथा हक व अधिकारों से महरूम कर दिया है। जबकि मौके पर दोनों खसरा नम्बरान के मध्य बेजमाने से तारबंदी की गई है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। ना ही प्रार्थीगण उतरदाता को किसी प्रकार से अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हक व अधिकार रखता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जिसके कारण प्रार्थीगण ने उतरदाता के उपयोग उपभोग में उक्त स्टे की आड में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिससे उतरदाता को काफी आर्थिक परेशानी हो रही है व उसको अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति उक्त स्टे की आड में उतरदाता को हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद फरमाया जाना अतिआवश्यक है कि उतरदाता की आराजीयात खसरा नं0 292/950 की पूर्वी सीमा जहां तारबंदी कायम है से किसी प्रकार की कोई छेडछाड व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, व मौके की यथास्थिति कायम रखने के लिये पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

दिनांक 28.10.2021 को इस प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्षों की बहस सुनी गई। जिस दौरान दोनों पक्षों में मौके की स्थिति में मतभेद प्रतीत हुआ। अतः मौके की वास्तविक स्थिति जानने के लिये पटवारी को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया व उभयपक्षों को भी मौके के छायाचित्र पेश करने हेतु आदेशित किया गया। उभयपक्षों ने मौके के फोटोग्राफ पेश किये व पटवारी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर स्पष्ट किया कि

1. खसरा नं0 292 व 292/950 के बीच में ग्रेवल रोड बनी हुई है।
2. खसरा नं0 292 व 292/950 के बीच में तारबंदी की हुई थी जो मौके पर तारबंदी गिरी हुई है। मौके पर पूछताछ करने पर पाया गया कि तारबंदी वादी बजरंग वगै0 ने ही गिरायी है।
3. मौके की वर्तमान फोटो संलग्न है।

हमनें प्रस्तुत फोटोग्राफ, प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस व पटवारी रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया। इस सब तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि खसरा नं0 292 प्रार्थी की कब्जेकाश्त व खसरा नं0 292/950 अप्रार्थी की कब्जेकाश्त की भूमि है जिसके बीच की सीमा के कुछ हिस्से पर [illegible] है व शेष हिस्से पर तारबंदी की गई है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार यह तारबंदी [illegible] वगै0 द्वारा गिराई गई है। मौके पर दोनों पक्षकार अपनी अपनी [illegible] मुख्य विवाद सीमा का है। अतः न्यायालय उभयपक्षों को आदेशित [illegible] है कि वह अपने अपने हिस्से की भूमि पर ही काबिज रहें व एक दूसरे के [illegible] की भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत न करें। उभयपक्ष खसरा नं0 292 व 292/950 के बीच की वर्तमान सीमा से किसी भी प्रकार की छेडछाड न करें। इस आशय से ताफैसला उभयपक्षों को पाबंद किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीमती अर्शदीप बराड़)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (प्रथम)